गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 14.12.2019
समय : प्रातः11:30 बजे
स्थान : श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, कटवरीया सराय, इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार, भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. डॉ0 नैपाल सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
4. श्री नरिन्दर सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
5. श्री प्रेम भारद्वाज, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
6. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
7. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 राकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
9. प्रो0 सन्तराम वैश्य, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
10. प्रो0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
11. डॉ0 सुनील पंवार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
12. प्रो0 दिनेश चन्द्र भट्ट, कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुयी ।

बैठक में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री सुशील कुमार, प्रयोगशाला सहायक एवं सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो0 हरगोपाल सिंह तथा सेवानिवृत्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी श्री सुदर्शन लाल मल्होत्रा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दो मिनट का मौन रखा गया।

प्रस्ताव संख्या 01 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.09.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठक दिनांक 06.09.2019 को विश्वविद्यालय के आई0क्यू0ए0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही सभी सदस्यों को दिनांक 27.09.2019 को इस आशय से भेजी गयी थी कि यदि कार्यवाही में कोई आपत्ति है तो 15 दिन में (दिनांक 12.10.2019 तक) सूचित करने का कष्ट करें। इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

बैठक में गत बैठक की कार्यवाही सम्पुष्टि की गयी है ।

प्रस्ताव संख्या 02 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.09.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन ।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.09.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन की रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावों पर निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये :–

i. गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 पर किये गये कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य एवं प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि स्ववित्त पोषित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों/नियमावली बनाये जाने हेतु गठित समिति को Scope सहित बिन्दु स्पष्ट किये जाने चाहिए कि

समिति को किन–किन बिन्दुओं पर कार्य करना है । इस सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लाया गया कि गठित समिति को किये जाने वाले कार्यों एवं Scope के सम्बन्ध में पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है । डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि भविष्य में स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नियुक्ति पत्रों में नियमों एवं शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि उक्त समिति द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु जो नियम एवं सेवा शर्तें बनाये जायेंगे वह भविष्य में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर ही लागू किये जाने चाहिए । डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि गठित समितियों के पत्रों में कार्य पूर्ण करने हेतु एक नियत समयावधि का भी अंकन किया जाना आवश्यक है । जिससे कि कार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके ।

अतः उक्त के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित कर्मचारियों हेतु गठित समिति को एक नियत समयावधि प्रदान कर कार्य को सम्पन्न करा लिया जाये तथा जो नियम एवं सेवा शर्तें बनाये जायें वह भविष्य में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर ही लागू किया जायेगा ।

ii. डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के निजी संस्थानों में किये गये शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। इस सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि जिन शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा अन्य संस्थानों में कार्य किया गया है, उन्होनें विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर अन्य संस्थानों में सेवा की है । डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार, डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव एवं डॉ0 राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि श्रेष्यकर होगा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सदन के द्वारा एक समिति का गठन कर लिया जाये ।

विचारोपरान्त् निर्णय लिया गया कि उक्त मामलों की जांच हेतु निम्न समिति का गठन किया जाये :–

1. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव–अध्यक्ष
2. श्री नरिन्दर सिंह –सदस्य
3. वित्ताधिकारी –सदस्य
4. श्री देवन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव–संयोजक

मान्य सदस्यों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी के भी विचार लिये जाने चाहिए, जिससे कि समिति निष्पक्ष होकर नियमों के आलोक में अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत कर सके । तत्पश्चात् प्रशासनिक नोट के साथ प्रकरण आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

iii. बैठक में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार अतिरिक्त कार्य हेतु मूलवेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय देय है । जबकि विश्वविद्यालय में छठे वेतन आयोग के अनुसार मूलवेतन का 10 प्रतिशत तथा मूल्याकंन विभाग में अलग–अलग कार्यों हेतु अलग–2 मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। अतः उचित होगा कि सातवें वेतन

आयोग के अनुसार ही अतिरिक्त कार्य हेतु मूलवेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिया जाये।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार मूलवेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिया जाये।

iv. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने विश्वविद्यालय के आवासों में निवास कर रहे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा कि जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के निजी आवास हरिद्वार क्षेत्र में है उनसे विश्वविद्यालय का आवास तीन माह में खाली करा लिया जाये, जिससे कि पात्र शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के आवास आवटित किये जा सके।

इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय आवासों में रह रहे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से इस आशय का शपथ–पत्र ले लिया जाये कि उनका हरिद्वार क्षेत्र में कोई भी निजी आवास नही है। यदि किसी शिक्षक/कर्मचारी का कोई अपना निजी आवास हरिद्वार क्षेत्र में है तो उसको 03 माह में विश्वविद्यालय आवास खाली किये जाने हेतु पत्र जारी कर दिये जाये। भविष्य में प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में विश्वविद्यालय के आवासों में निवास कर रहें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाये कि उनका हरिद्वार क्षेत्र में कोई भी अपना निजी आवास नही है।

v. श्री विनय आर्य ने विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्व0 डॉ0 धर्मपाल के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) राशि को जारी/भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि स्व0 डॉ0 धर्मपाल के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की राशि को उनकी धर्मपत्नी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भी विचार–विमर्श किया गया था । इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त समिति ने भी स्व0 डॉ0 धर्मपाल के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की राशि को जारी (Release) करने की संस्तुति की थी, किन्तु स्व0 डॉ0 धर्मपाल की व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध नही हो पाने के कारण इस सन्दर्भ में कार्यवाही नही की जा सकी । प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि स्व0 डॉ0 धर्मपाल की पत्रावली के सम्बन्ध में विधि प्रकोष्ठ कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है । कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया गया कि भविष्य निधि (PF) की राशि का पूर्ण विवरण बैंक/विश्वविद्यालय के भविष्य निधि अभिलेखों में होने के कारण इस भुगतान को करने में कोई समस्या नही होगी । **विचारोपरान्त् सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व कुलपति स्व0 डॉ0 धर्मपाल के अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की राशि का भुगतान उनकी धर्मपत्नी को किये जाने की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से आरम्भ कर दी जाय।**

vi. गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 08 पर किये गये कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय के संशोधित एम0ओ0ए0 को शीघ्र ही विश्वविद्यालय की **स्पोन्सरिंग सोसाईटी के तीनों सभाओं (दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा) को प्रेषित कर अंतिम निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जाय।**

vii. डॉ0 नैपाल सिंह ने गत बैठक के अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 01 पर विश्वविद्यालय में बायोमट्रिक व्यवस्था की प्रगति के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराये जाने हेतु कहा । कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है । **कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त् उपस्थिति हेतु बायोमट्रिक व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जायेगा ।**

प्रस्ताव संख्या 03 **विश्वविद्यालय में दिनांक 19.10.2019 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही के अंकन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय में दिनांक 19.10.2019 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक आहूत की गयी ।
विश्वविद्यालय के वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2019 में पारित प्रस्तावों की सम्पुष्टि हेतु रखे गये कार्यवाही के प्रस्ताव पर निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये :–

i. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 03 पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि आर्य समाज चंदे की कटौती पूर्व की निर्धारित दर (मूलवेतन का 0.25 प्रतिशत) के अनुसार ही की जानी चाहिए । श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व के वेतनमानों में आर्य समाज चंदे की कटौती मूलवेतन के 0.25 प्रतिशत के अनुसार की जाती रही है । अतः वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त हो रहे मूलवेतन में आर्य समाज चंदे की कटौती 0.25 प्रतिशत के अनुसार ही की जाये । **बैठक में उपरोक्तानुसार आर्य समाज चंदे की कटौती किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।**

ii. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 07 पर डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था करने पर विश्वविद्यालय में गठित अन्य समितियों द्वारा भी इसी प्रकार के मानदेय दिये जाने की मांग की जायेगी । चूंकि सेवा नियमावली के अनुसार समस्त कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी Round the Clock होती है । अतः किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी को आवश्कतानुसार विश्वविद्यालय कार्यार्थ विश्वविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है । **अतः वित्त समिति में प्रस्ताव संख्या 07 पर लिये गये निर्णय को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त किया गया ।**

iii. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 10 पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार द्वारा वित्त समिति में भारत सरकार के सदस्य डॉ0 पद्माकर मिश्र के अंकन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार की तदर्थ (अस्थायी) सेवाओं से सम्बन्धित लम्बी अवधि का एरियर नही दिया जाना चाहिए । बैठक में श्री अमित कुमार धीमान एवं संजय शर्मा की दिनांक 04.08.2006 से 25.10.2010 तक की तदर्थ (अस्थायी) सेवाओं के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री अमित कुमार धीमान एवं श्री संजय शर्मा को दिनांक 04.08.2006 से वर्तमान तक काल्पनिक वेतन–वृद्वि (Notional Increment) प्रदान करते हुए इनका मूलवेतन निर्धारित कर (उक्त सेवा अवधि का एरियर देय नही है) प्रबन्ध मण्डल के बैठक की तिथि 14.12.2019 से तद्नुसार वेतन का भुगतान

किया जाये तथा गठित समिति की निम्न संस्तुतियां भी इन पर लागू होंगी :–

1. Are not entitled to count their ad-hoc service to seniority, promotion or ACP/MACP scheme.
2. Are entitled to count their ad-hoc service towards increment and it will not create any pay anomaly.
3. Are entitled to count their ad-hoc service towards Retirement/Gratuity.
4. Are entitled to add the earn leaves earned during ad-hoc services. and thus entitled to encashment of EL earned during ad-hoc period.

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

iv. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश में कोर्डिनेटर्स, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय प्रभारियों के इतर शिक्षकों के विभागीय कार्य एवं विश्वविद्यालय कार्यार्थ उपस्थित होने पर वेतन के साथ दिये जाने वाले परिवहन भत्ते (TA) के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम न होने के कारण इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से पत्राचार कर उक्त परिवहन भत्ता (TA) के सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट कर लिया जाये । इस सन्दर्भ में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि माह मई एवं जौलाई में 15–15 दिन उपस्थित होने पर पूर्ण माह का परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है । अतः ग्रीष्म अवकाश के माह जून में कोर्डिनेटर्स, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय प्रभारियों के इतर आने वाले शिक्षकों को कम से कम 15 दिन विश्वविद्यालय में उपस्थित होने पर परिवहन भत्ता (TA) देय होना चाहिए तथा जो शिक्षक 15 दिन से कम दिनों तक विभागीय कार्य एवं विश्वविद्यालय कार्यार्थ विश्वविद्यालय में उपस्थित होते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रति किलोमीटर के अनुसार परिवहन भत्ता (TA) देय होना चाहिए । **उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्रीष्म अवकाश के जून माह में कोर्डिनेटर्स, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय प्रभारियों के इतर शिक्षकों के विभागीय कार्य एवं विश्वविद्यालय कार्यार्थ उपस्थित पर दिये जाने वाले परिवहन भत्ते (TA) के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से पत्राचार कर लिया जाये ।**

v. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 13 पर श्री विनय आर्य ने कहा कि क्या फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सभी स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को देय है । इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने अवगत कराया कि फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि पूर्व से अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सभी स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर लागू है । श्री विनय आर्य ने सुझाव दिया कि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक Group Family Medical Policy ली जाये । **इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि स्ववित्त पोषित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये सेवा**

शर्तों/नियमावली बनाये जाने हेतु एक समिति का पूर्व में ही गठन किया गया है । समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर तद्नुसार बैठक में हुए निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

vi. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 14 के बिन्दु 02 पर श्री विनय आर्य ने कहा कि स्वामी श्रद्वानन्द की प्रतिमा को किन कारणों से हटाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा पूर्ण जानकारी सदन में रखी गयी । श्री विनय आर्य एवं श्री प्रेम भारद्वाज ने कहा कि यदि श्रद्वानन्द चौक से स्वामी श्रद्वानन्द जी की प्रतिमा को हटाया जाता है तो श्रद्वानन्द चौक के नाम का कोई औचित्य नही रह जायेगा तथा सरकार उस स्थान का अधिग्रहण कर अन्य उपयोग के लिये ले सकती है । अतः उचित होगा कि स्वामी श्रद्वानन्द जी प्रतिमा को उसी चौक पर रहने दिया जाय तथा दूसरे स्थान पर स्वामी श्रद्वानन्द की एक अन्य प्रतिमा बनवा कर लगायी जाय और इस हेतु विश्वविद्यालय के आर्य समाज चन्दे से एकत्र हुई राशि का उपयोग किया जा सकता है ।

प्रस्ताव संख्या 04 **विश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दो सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

उपरोक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को अवगत कराया जाना है कि विश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु 28 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न प्रकार से दो सदस्यों को नामित किया जाना है ।

1. प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित सदस्य
2. प्रबन्ध मण्डल द्वारा वाह्य विशेषज्ञ के रुप में नामित सदस्य (जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से न हो)

अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से एक सदस्य को नामित किया जाना है । बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में वाह्य विशेषज्ञ के रुप में किसी एक को नामित किये जाने हेतु अति–गोपनीयता की दृष्टि से मान्य कुलपति जी को अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक तक स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव संख्या 05 **श्री शशिकान्त, निजी सचिव कुलपति को एम्स ऋषिकेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

श्री शशिकान्त, निजी सचिव कुलपति प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक अधिकारी पद पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में दिनांक 11.05.2016 से कार्यरत थे । सातवें वेतन आयोग एवं DOPT के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी 07 वर्ष तक कार्यरत रह सकता है । किन्तु प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 01.06.2019 को हुए प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुपालन में श्री शशिकान्त ने निजी सचिव, कुलपति पद पर दिनांक 19.08.2019 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

इस बीच निदेशक, एम्स, ऋषिकेश ने पत्र संख्या एम्सऋषि/डीआईआर/562/28 जून, 2019 के माध्यम से श्री शशिकान्त की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा है। इसके अतिरिक्त निदेशक महोदय ने कुलपति जी के साथ हुई भेंट के दौरान भी

श्री शशिकान्त को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की प्रार्थना की । पुनः निदेशक महोदय ने एक पत्र संख्या AIIMSRISH/DIR/5164/18 October 2019 भेजा है । जिसमें उन्होंने श्री शशिकान्त को प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की ।

श्री शशिकान्त को पुनः प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक अधिकारी तथा/अथवा अन्य उच्चतर पद पर DOPT के नियमानुसार भेजे जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि कुलपति कार्यालय में निजी सचिव का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। यदि निजी सचिव को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो निजी सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर किसी अन्य कर्मचारी से किस प्रकार कार्य लिया जा सकता है । श्री विनय आर्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय हो चुका था। **उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त् सर्वसम्मति से श्री शशिकान्त को प्रतिनियुक्ति पर न भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।**

प्रस्ताव संख्या 06 **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदान अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं के स्थायीकरण की स्वीकृति ।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों का विश्वविद्यालय की सेवा में एक वर्ष का परीविक्षा काल माह नवम्बर/दिसम्बर 2019 में पूर्ण होने पर नियमानुसार सेवाओं का स्थायीकरण किया जाना है । उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विनियम 2018 के बिन्दु संख्या 11.0 के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक के विभागाध्यक्ष से शिक्षक के शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में गोपनीय आख्या ली गयी थी । सभी शिक्षकों के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित गोपनीय आख्या में शिक्षकों के शिक्षण कार्य का अंकन अच्छा/संतोषजनक दिया गया है । अतः निम्न शिक्षकों के विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धित **प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।**

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :–

क0 सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्ग	कार्यभार ग्रहण तिथि	एक वर्ष पूर्ण होने की तिथि
1.	श्री अजित सिंह तोमर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.11.2018	31.10.2019
2.	डॉ0 रविन्द्र कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.11.2018	31.10.2019
3.	श्री जगराम मीणा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.टी.	01.11.2018	31.10.2019
4.	डॉ0 भारत आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ओ.बी.सी.	02.11.2018	01.11.2019
5.	डॉ0 दीनदयाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	02.11.2018	01.11.2019
6.	डॉ0 बबलू	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	02.11.2018	01.11.2019
7.	डॉ0 वेदव्रत	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	02.11.2018	01.11.2019
8.	डॉ0 भगवानदास जोशी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	02.11.2018	01.11.2019
9.	डॉ0 दीपक सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	02.11.2018	01.11.2019
10	श्रीमती सविता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.सी.	02.11.2018	01.11.2019
11	डॉ0 निशा शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	03.11.2018	02.11.2019
12	डॉ0 निशा यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	03.11.2018	02.11.2019
13	सुश्री ममता यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	05.11.2018	04.11.2019
14	डॉ0 सरिता नेगी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.टी.	10.11.2018	09.11.2019
15	डॉ0 संदीप कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ओ.बी.सी.	10.11.2018	09.11.2019
16	डॉ0 हरीश चन्द्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.सी.	13.11.2018	12.11.2019
17	डॉ0 नितिन भारद्वाज	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.12.2018	30.11.2019

उक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया

प्रस्ताव संख्या 07 **विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के हिन्दी में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पर डॉ0 अमृता के कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के अन्तर्गत हिन्दी विभाग में रिक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति दिनांक 03.11.2017 की

संस्तुति एवं विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 30.10.2018 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या–09 की स्वीकृति उपरान्त् डॉ0 अमृता पुत्री श्री बच्चन सिंह की हिन्दी विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के परीक्षण काल पर (जो कि एक वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है) एकेडमिक लेवल–10,रु.57700–182400 के अन्तर्गत मूलवेतन रु.57700/–एवं देय अन्य अनुमन्य भत्तों सहित इस कार्यालय के पत्र संख्या Estt./556 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति प्रदान की गयी थी ।

उक्त के सम्बन्ध में डॉ0 अमृता द्वारा दिनांक 10.11.2018 को कार्यभार ग्रहण करने के सन्दर्भ में प्रेषित किये गये प्रार्थना–पत्र, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) प्रयागराज में कार्यरत होने के कारण कार्यभार ग्रहण करने हेतु 06 माह का समय दिये जाने का अनुरोध किया था । उक्त के आलोक में मान्य कुलपति जी की स्वीकृति उपरान्त् इस कार्यालय के पत्र संख्या Estt./10838 दिनांक 01.12.2018 के द्वारा डॉ0 अमृता को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30.04.2019 तक (अधिकतम छः माह) का समय दिया जा चुका है ।

तत्पश्चात् डॉ0 अमृता द्वारा उपरोक्त समयावधि (दिनांक 30.04.2019 तक) में विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर इनके द्वारा दिनांक 18.04.2019 को प्रेषित पत्र में अनुरोध किया गया था कि इनका वर्तमान कार्यस्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में एक वर्ष का परीक्षण काल पूर्ण होने के पश्चात् ही इन्हें यहाँ से लियन सहित अवकाश प्राप्त होगा। अतः इनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु पुनः आगामी छः माह का और अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। इनके उक्त अनुरोध को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय की दिनांक 01.06.2019 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखे गये उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि **"डॉ0 अमृता को कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने हेतु छः माह (दिनांक 01.05.2019 से 31.10.2019 तक) का अतिरिक्त समय इस आशय से स्वीकृत किया जाता है कि यह इनका अन्तिम अवसर होगा तत्पश्चात् विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करें।"** उक्त प्रबन्ध मण्डल में हुए निर्णय के अनुसार डॉ0 अमृता को पत्रांक Estt. 2949 दिनांक 27.06.2019 के अनुसार सूचित कर दिया गया था।

पुनः डॉ0 अमृता द्वारा दिनांक 29.10.2019 को प्रेषित पत्र में विश्वविद्यालय के पत्रांक Estt.2949 दिनांक 27.06.2019 के सन्दर्भ में निवेदन किया है कि उन्होनें विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का निश्चय करते हुए प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी, परन्तु इन्हें यूट्रस मल्टीपल फाईब्राईट होने की पुष्टि होने के कारण गम्भीर बीमारी की अवस्था में मेदान्ता, गुरुग्राम में आपरेशन करवाया गया है, जिस कारण से वह विश्वविद्यालय में निर्धारित अवधि (दिनांक 31.10.2019 तक) तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पायी हैं। अतः इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इनके द्वारा चार–पांच माह का पुनः और अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार **विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डॉ0 नैपाल सिंह एवं श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि प्रस्तावनुसार डॉ0 अमृता को इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु पूर्व में ही दो बार समय प्रदान किया जा चुका है । अतः वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु और अतिरिक्त समय नही दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पद का पुनः विज्ञापन जारी कर दिया जाये ।**

प्रस्ताव संख्या 08 **विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा "योग एवं गीता" एवं षष्ठ मासिक प्रमाण–पत्र कोर्स "प्रतिस्पर्धा मूलक तर्कशास्त्र" आरम्भ करने के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.06.2019 के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में रखे गये उक्त प्रस्ताव में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा "योग एवं गीता" को अस्वीकृत करते हुये

केवल षष्ठ मासिक प्रमाण–पत्र कोर्स "प्रतिस्पर्धा मूलक तर्कशास्त्र" आरम्भ करने का निर्णय लिया, तथा "योग एवं गीता" के स्थान पर एक वर्षीय डिप्लोमा हेतु ''तुलनात्मक धर्म दर्शन'' शीर्षक से डिप्लोमा आरम्भ करने का सुझाव दिया गया था। उपरोक्त प्रबन्ध मण्डल में हुए निर्णय के अनुसार विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग को अवगत करा दिया गया था ।

विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2019 को प्रेषित पत्र में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा "योग एवं गीता" पर पुनः विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है । **पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है । यदि विभागाध्यक्ष "योग एवं गीता" के स्थान पर अन्य 02–03 शीर्षकों पर नाम तथा पाठ्यक्रम विवरण (Course Structure) बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो उसको आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय । उक्त प्रस्ताव पर डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में पुरोहितों से सम्बन्धित जो छात्र वैदिक कर्मकाण्ड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स अथवा डिग्री प्राप्त करते हैं, उनका पूर्ण विवरण बनाकर विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर अपलोड किया जाये, जिससे कि भारत वर्ष में अन्य संस्थानों/व्यक्तियों को कर्मकाण्ड कराये जाने हेतु पुरोहित मिल सके । उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया ।**

प्रस्ताव संख्या 09

विश्वविद्यालय में आगामी वर्षों में प्रस्तावित भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में विभिन्न परिसरों एवं कार्यालयों के भवनों की आवश्यकता को देखते हुए आगामी वर्षों में निम्न भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है :–

1. कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार में छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण करना ।
2. कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार में वाहन पार्क हेतु पार्किंग स्थल का निर्माण करना ।
3. प्रशासनिक भवन के ब्लाक–सी का निर्माण करना ।
4. मुख्य परिसर में वेद भवन का निर्माण करना ।
5. पुरातत्व संग्रहालय में नई गैलरी का निर्माण करना ।
6. दयानन्द स्टेडियम में बहुअयामी भवन का निर्माण करना ।
7. कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार में विज्ञान वर्ग हेतु नये भवन का निर्माण करना ।
8. विश्वविद्यालय में वी0वी0आई0पी0 अतिथि गृह का निर्माण करना ।
9. कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून के कार्यालय एवं अतिथि गृह हेतु बहुमंजिला भवन का निर्माण करना ।
10. विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र (USIC) के भवन का निर्माण करना ।

उक्त प्रस्ताव पर डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि उक्त भवनों के निर्माण हेतु धनराशि कहां से प्राप्त होगी । इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी कहा कि सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रस्ताव भेजे गये है । मंत्रालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे । डॉ0 नैपाल सिंह एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि भविष्य में बनने वाले उक्त भवनों का नक्शा अच्छे आर्किटेक्चर से बनवाये जाय ।

प्रस्ताव संख्या 10

विश्वविद्यालय की खसरा नम्बर–219 के अन्तर्गत स्थित भूमि को कब्जेदारों से मुक्त कराकर विश्वविद्यालय द्वारा अपने कब्जे में लेने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के समीप खसरा नम्बर–219 के अन्तर्गत स्थित विश्वविद्यालय की भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा लम्बे समय से कब्जा किया हुआ था तथा उस पर अस्थायी निर्माण कार्य भी किया हुआ था । उक्त प्रकरण वर्तमान कुलपति जी के संज्ञान में आने पर मान्य कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के साथ मिलकर उक्त भूमि को राजस्व एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की देख–रेख में विश्वविद्यालय की इस भूमि की नपाई कराकर कब्जा की गयी जमीन को वापस

विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि विश्वविद्यालय की भूमि किसी के भी द्वारा कहीं भी कब्जा रखी है तो उसे शीघ्र ही विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहित कर ली जायेगी । चूंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में पढ़ने वाली छात्राओं के लिये कोई भी छात्रावास नही है । अतः उक्त खसरा नम्बर–219 के अन्तर्गत स्थित भूमि का उपयोग कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार की छात्राओं हेतु एक बहुमंजिला छात्रावास बनाया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त प्रस्ताव पर सदन के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य कुलपति जी द्वारा उठाये गये ठोस कदमों एवं तात्कालिक लिये निर्णयों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय में धनराशि की उपलब्धता होने पर कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार की छात्राओं हेतु एक बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण कराया जाय ।

प्रस्ताव संख्या 11 **विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय में स्वीकृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर वर्ग के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर को बनाया जाना है । उक्त कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति में श्री राजीव चौधरी, कुलसचिव, अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश को वाहय विशेषज्ञ के रुप में सदस्य नामित किया गया है । समिति द्वारा विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित किया है कि दिनांक 01.01.2016 को कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियें को आधार मानकर ही उक्त आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर प्रणाली को बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है तथा भविष्य में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर में होने वाले किसी भी संशोधन के लिये दिनांक 01.01.2016 के आधार पर तैयार किये जाने वाले आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर को ही आधार मानकर संशोधन किया जाये। दिनांक 01.01.2016 को आधार मानकर विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर प्रणाली बनाये जाने के लिये **स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि यदि यह नियमानुसार है तो प्रबन्ध मण्डल को कोई आपत्ति नहीं है । विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियें के पदों हेतु आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर बनाये जाने हेतु दिनांक 01.01.2016 को आधार मानकर तैयार किया जाये तथा भविष्य में विश्वविद्यालय के एस0सी0/एस0टी0 सैल द्वारा आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर में होने वाले किसी भी संशोधन के लिये दिनांक 01.01.2016 के आधार पर तैयार किये गये आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर को ही आधार मानकर संशोधन किया जाय ।**

प्रस्ताव संख्या 12 **विश्वविद्यालय की भूमि के खसरा नम्बर–219 के साथ निजी भूमि के खसरा नम्बर–286 के भू–स्वामियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय की भूमि के खसरा नम्बर–219 के साथ दोनों तरफ स्थित निजी भूमि स्वामियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा खसरा नम्बर–219 की भूमि में से कुछ भाग उनके नाम स्थानान्तरित कर विश्वविद्यालय की भूमि के पीछे स्थित उनकी भूमि में से बदले में अधिकाधिक भूमि विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किया जा सकता है । निजी भूमि स्वामिओं द्वारा दिये गये उक्त प्रस्ताव इस लिये विचारणीय है कि (1) निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–58 के 6 लेन होने पर विश्वविद्यालय के आगे की अधिकतर भूमि का अधिग्रहण हो जाने पर कुछ ही

भूमि शेष रहेगी । जिस कारण से शेष भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नही होगा । (2) यदि विश्वविद्यालय द्वारा निजी भूस्वामीयों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो विश्वविद्यालय को अधिक भूमि का लाभ होगा । जिस पर भविष्य में कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में अध्यनरत छात्राओं हेतु उक्त भूखण्ड पर अच्छा एवं सुन्दर निर्माण कार्य सम्भव हो पायेगा ।

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 के Rules of the Vishwavidyalya के बिन्दु संख्या 04 के उपबिन्दु 4.14 के अनुसार विश्वविद्यालय से भूमि से सम्बन्धित निर्णय स्पोंन्सरिंग सोसाईटी को भेजा जाना है । अतः विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तथा नक्शा तैयार कर स्पोंन्सरिंग सोसाईटी (आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली) को भेजा जाये तथा स्पोंन्सरिंग सोसाईटी द्वारा लिये गये निर्णय को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि भूमि के परस्पर परिवर्तन में जल्दबाजी न की जाये । उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भूमि के परस्पर परिवर्तन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्पोंन्सरिंग सोसाईटी को भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 13

विश्वविद्यालय की भूमि के खसरा नम्बर–19, 21, 23, 24, 25 एवं 26 के मध्य निजी भूमि के खसरा नम्बर–20, 22 एवं 24 के भू–स्वामियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के समीप ग्राम जमालपुर कलां में विश्वविद्यालय की भूमि के खसरा नम्बर–19, 21, 23, 24, 25 एवं 26 के मध्य में कुछ व्यक्तियों की निजी भूमि आ रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

कसं	भूस्वामी का नाम	भूमि खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	श्री विष्णु प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी	20	0.296
2	श्रीमती सुशीला पत्नी श्री फूलचन्द	22/1 एवं 22/2	0.4920
3.	श्री संजन धीमान, श्री राजीव धीमान, श्री सुमेन्द्र धीमान पुत्र श्री सतपाल एवं श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री सतपाल	24	0.0820

उक्त कम संख्या 01, 02 एवं 03 पर अंकित भूस्वामियों द्वारा प्रस्तावित किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा इनकी उक्त भूखण्डों का अधिग्रहण कर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें रोड़ के समीप इनके भूखण्डों के बदले में भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाय ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर प्रस्ताव संख्या 12 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

अन्य पूरक प्रस्ताव सं.01

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में दुलर्भ पुस्तकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि संज्ञान में आया है कि पुस्तकालय में दुलर्भ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की व्यवस्था ठीक प्रकार से नही की जा रही है । अतः उक्त पुस्तकों की सही प्रकार से देखभाल तथा सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हेतु मान्य कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया जाये जिससे कि उक्त दुलर्भ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों की सुरक्षा की व्यवस्था पर निर्णय लिया जा सके ।

अन्य पूरक प्रस्ताव सं.02

विश्वविद्यालय के विरुद्व विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय के मुकदमों की पैरवी सही प्रकार से नही की जा रही है, जिस कारण से विश्वविद्यालय की भूमि के कई केस हार की स्थिति में है । श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में जो वाद न्यायालय में चल रहें है उस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी को पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि भूमि से सम्बन्धित मुकदमों की तिथि तथा न्यायालय में हुई प्रत्येक कार्यवाही से विश्वविद्यालय प्रशासन तथा उन्हें (श्री विनय आर्य) अवगत कराया जाये । किन्तु श्री नलनीश विग द्वारा अभी तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही नही की गयी है। डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यह

तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही तथा आदेशों की अवेहलना है । अतः उपरोक्त के आलोक में श्री नलनीश विग को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकारण लिया जाये एवं वर्तमान में विश्वविद्यालय के विरुद्व दायर मुकदमों के वर्तमान स्थिति की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये । डॉ0 नैपाल सिंह एवं श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की समस्त भूमि का Maunal (विवरण) आवश्यक रुप से बनाया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय की भूमि से सम्बन्धित समस्त नक्शे तथा उनसे सम्बन्धित Maunal (विवरण) की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में विश्वविद्यालय की भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न कर करना पड़े । अतः उपरोक्त के आलोक में बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. श्री नलनीश विग को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर स्पष्टीकरण लिया जाये ।
2. विश्वविद्यालय में भूमि एवं अन्य मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जांच हेतु निम्न प्रकार से एक समिति का गठन किया गयाः–

   a) श्री नरिन्दर सिंह
   b) मान्य कुलपति जी द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ प्रोफेसर
   c) एक वाह्य एडवोकेट

3. विश्वविद्यालय की समस्त भूमि का Maunal (विवरण) तैयार कर भूमि के नक्शें तथा Maunal (विवरण) को सुरक्षित रखा जाये ।

बैठक के अन्त में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा शान्ति पाठ के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव

माननीय कुलपति को संबोधित पत्र में प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 04.01.2020 को प्रेषित प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/टिप्पणी में निम्न निर्णयों को अंकित करने को कहा है। इन निर्णयों को प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सम्मिलित कर लिया गया है।

1. प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठकों में यह निर्णय लिया जा चुका है कि विश्वविद्यालय के उन शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से रिकवरी की जाए जिनको नियम विरूद्ध पी–एच.डी. इन्सेंटिव, वेतन वृद्धि या अन्य आर्थिक लाभ दे दिए गए हैं। इस विषय पर प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक में विस्तार से विचार–विमर्श हुआ और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस विषय में ढुलमुल रवैया अपनाए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त के संदर्भ में तीव्रता से कार्यवाही की जाए तथा प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए प्रो0 एस.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये।
2. विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा में यह जानकारी मांगी गई थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियमों और सेवा शर्तों को सरकार/यू.जी.सी. के नए प्रावधानों के आलोक में संशोधित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, क्या उसकी संस्तुति आ चुकी है। सदन को अवगत कराया गया कि अनुल्लेखनीय किन्हीं अवरोधों के कारण उक्त कार्य नहीं हो सका है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि मैंटेनैंस और एस.एफ.एस.– दोनों के अंतर्गत लगने वाले कर्मचायिों के लिए यू.जी.सी द्वारा 2016 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार RR तैयार किए जाएं तथा जब तक यू.जी.सी के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए RR प्रबन्ध मण्डल से स्वीकृत न हो जाए तब तक मैंटेनेंस या एस.एफ.एस. का न तो कोई पद विज्ञापित किया जाएं और न ही किसी प्रकार की कोई नियुक्ति या पदोन्नति की जाए। कार्यवृत्त में अंकन के समय इस निर्णय में से आंशिक रूप से केवल एस.एफ.एस. को ले लिया गया है तथा मैंटेनेंस के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा उन कर्मचारियों को भी परिवहन भत्ता दिया जा रहा है जो विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते हैं। चुकि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा मानता है कि इस विषय में नियमों में स्पष्टता नहीं है अतः निर्णय लिया गया था कि इस विषय में सभी तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यू.जी.सी को अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण/राय मांग लिया जाए।

26/01/202

कलसचिव